बिल्डरों के लिए कारपेट एरिया का उल्लेख अनिवार्य

नई दिल्ली, (भाषा)। रीयल एस्टेट कंपनियों के शीर्ष संगठन कान्फेडरेशन आफ रीयल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन आफ इंडिया :क्रेडाई: ने अपने सभी सदस्यों के लिए प्रचार दस्तावेज और बिक्री करार में कारपेट एरिया :इस्तेमाल योग्य क्षेत्र: के उल्लेख को अनिवार्य कर दिया है। रीएल एस्टेट क्षेत्र में और ज्यादा पारदर्शिता लाने की दृष्टि से क्रेडाई ने यह पहल की है। देशभर में क्रेडाई के सदस्यों की संख्या 10,000 से अधिक है। क्रेडाई ने कहा है कि अगले छह माह के दौरान उसके सभी सदस्य आचार संहिता पर दस्तखत करेंगे। आचार संहिता में कारपेट एरिया, परियोजना में विलंब पर मुआवजे का प्रावधान तथा दोनों पक्षों के बीच करार की सभी बातों का सम्मान शामिल है। क्रेडाई के चेयरमैन प्रदीप जैन ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सदस्य आचार संहिता पर दस्तखत करे। आचार संहिता में हम अपने सदस्यों के लिए कारपेट एरिया के उल्लेख को अनिवार्य करेंगे।'' उत्तर भारत में डेवलपर्स आमतौर पर सुपर एरिया के आधार पर बिक्री करते हैं। इसमें सारा निर्मित क्षेत्र शामिल होता और उसमें आम इस्तेमाल के क्षेत्र मसलन लिफ्ट और सीढियों को भी शामिल किया जाता है। क्रेडाई के अध्यक्ष ललित कुमार जैन ने कहा कि हम पारदर्शिता और अनुशासन को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। उद्योग संगठन ने विभिन्न विवादों के निपटान के लिए देशभर में उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के गठन का भी फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यदि हमारा कोई सदस्य गडबडी करता पाया जाता है, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।

net/view/view_clip.php?vid=2890341&cnm=Q1I0OTc3ODE... 4/14/2011